न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 23 / 2016

प्रेमनाथ पुत्र अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

— अपीलार्थी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 109 / 2017

प्रेमनाथ पुत्र अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

— अपीलार्थी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश अति.कलक्टर सूरतगढ़ दिनांक 14.05.2013

उपस्थितिः—

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी ।

श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 08.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रणवीर ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के तहत अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी खेमाराम ने रोही हरदासवाली के ख.न. 122/10 की 20 बीघा एवं ख.न. 119/5 की 10 बीघा इस प्रकार 30 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी सूरतगढ से दिनांक 15.05.1992 से टीसी से पुख्ता आवंटन करवाई है। अप्रार्थी खेमाराम पुत्र मघाराम द्वारा खेमाराम पुत्र मूलाराम बनकर चक 2 बीपीएम में प.नं. 213/29 व 213/28 की 17.15 बीघा भूमि सरकार को धोखा देकर अपने पिता का नाम बदलकर आवंटन करवाई है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उसके द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवंटन नहीं कराया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अति.कलक्टर सूरतगढ ने दिनांक 14.05.2013 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख.नं. 114/5 की 10 बीघा तथा ख.न. 122/10 की 9.04 बीघा कुल 19.04 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त भूमि को बहक सरकार रिज्युम करने के आदेश दिय गये। उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें पेश हुई है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. खेमाराम ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया था एवं शिकायत प्रार्थना पत्र में 30 बीघा भूमि का

8/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया था किन्तु अधी.न्यायालय ने 19.04 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हए अपीले अन्दर मिया शुमार की जाकर अपीलें स्वीकार कर 30 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीले खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा उक्त अपीलें आदेश दिनांक 14.05.2013 के विरूद्ध कमशः दिनांक 27.12.2013 व 17.12.2015 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 109/2017 प्रेमनाथ बनाम खेमाराम व अपील संख्या 23/2016 प्रेमनाथ बनाम खेमाराम अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अतः दोनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाता है।

दोनों अपीलें दो न्यायालयों यथा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में कमशः प्रकरण संख्या 82/07 रणवीर बनाम खेमाराम व प्रकरण संख्या 3/2000 प्रेमनाथ बनाम खेमाराम दोनों की विषय वस्तु एक ही होने से जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की पत्रावली संख्या 3/2000 कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.2012 द्वारा अपने न्यायालय की पत्रावली

3/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ को भिजवाई गई जिसमें अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ में इसी विषय वस्तु से सम्बन्धित होकर एक साथ निर्णय करने के निर्देश दिये गये थे जो अति.कलक्टर की आदेशिका दिनांक 03.09.2012 द्वारा अति.कलक्टर सूरतगढ के न्यायालय की पत्रावली संख्या 82/2007 रणवीरसिंह बनाम खेमाराम के साथ इक्जाई कर दोनों ही पत्रावलियों का एक ही निर्णय दिनांक 14.05.2013 किया। दोनों ही अपीलें एक ही निर्णय अति.कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.05.2013 के विरूद्ध पेश होने तथा दोनों ही अपीलों का अनुंतोष भी अधी. न्यायालय द्वारा कम भूमि अधिग्रहित की है। अतः समूची 30 बीघा भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील मीमों के कथनों के अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण विशुद्ध रूप से तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 का उल्लंघन है जो साबित होने पर इसी अधिनियम की धारा 14 में आवंटन निरस्त ही नहीं अपितु शास्ती आरोपित किये जाने के प्रावधान भी है जो दाण्डिक प्रावधान होकर धारा 14 के विनिश्चय में पात्रता की गणना का अवधारणा नियम संगत नहीं है । अतः सिर्फ सम्पूर्ण आवंटन निरस्तीकर ही विधिक आदेश है तथा अपनी बहस में जाहिर किया कि उपखंड अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.03.97 में आवंटन आदेश 710/15.5.1992 के सन्दर्भ में की गई वल्दियत दुरस्ती से तथ्यों को छिपाने की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है यथा खेमाराम वल्द मूलाराम के नाम से पूर्ववर्ती आवंटन से धारित भूमि व Notional share से धारित भूमि का तथ्य पश्चातवर्ती आवंटन में छिपाया है। अतः सम्पूर्ण आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। रेस्पों. अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में सार रूप से जाहिर किया कि प्रथमतः अपील मियाद बाहर है तथा खेमाराम पुत्र मघाराम की बजाए खेमाराम वल्द मूलाराम उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 06.031997 को संशोधन किया है

8/1/18

तथा अपीलांट का status एक intrmer का का यह अपीलांट नहीं बन सकता जो अपूर्ण हो चुका है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कियात्मक भाग में यह तो सारग्रहित निष्कर्ष निकाला है कि रेस्पो. द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में अपनी पूर्व में धारित भूमि का उल्लेख नहीं किया है तथा यह भी विवेचित किया है कि रेस्पो. खेमाराम द्वारा पश्चातवर्ती आवंटन में वल्दियत बदलकर यथा खेमाराम वल्द मघाराम दर्शाकर 30 बीघा भूमि आवंटन करवाई है जबकि पूर्व में खेमाराम वल्द मूलाराम दर्शाकर 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन करवाई है तथा अपने निर्णय में अंकित किया है कि रेस्पो. द्वारा धारा 11 के प्रावधानों का उल्लघंन करना तो विवेचित किया है परन्तु विवेचन में पात्रता से अधिक 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की है यह निर्णय उस परिस्थिति में Legal हो सकता था जब खेमाराम द्वारा अपनी वल्दियत नहीं बदली होती, धारित भूमि की घोषणा की होती। उस समय गणना की त्रुटि दुरस्त की जाकर उसकी पात्रता की हद तक भूमि उसके पास रहने दी जा सकती थी। परन्तु खेमाराम द्वारा तथ्यों को छिपाकर 30 बीघा भूमि आवंटित करवाई है जो पूर्ण रिज्युम योग्य होकर दोनों ही अपीले यथा 109/2017 व 23/2016 स्वीकार की जाती है तथा अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.05.2013 में यह संशोधन किया जाता है कि रेस्पो. खेमाराम को आवंटित ग्राम हरदासवाली में आवंटित 19.04 बीघा की जगह 30 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करना प्रतिस्थापित (substitute) किया जाता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त आवटित भूमि का चकबंदी में निम्नानुसार पैमूद (Transfer) होना दर्शाया है यथा ख0नं0 114/5 रकबा 10 बीघा प.न. 213/61 के कि.न. 1 से 10 रकबा 5.0600है0, ख.पं. 120/10 रकबा 20 बीघा , प.नं. 233/14 के कि.नं. 4 से 7, 15, 16, 24, 25 रकबा 4.0480है0, प.नं. 233/15 के कि.नं. 3 से 10, 13, 14, 15 की 5.2114है0 कमाण्ड व 0.0750है0 खाल व पं.नं.

8/1/18

233/22 का 0.3800है0 कुल कमाण्ड 9.6420है0, अनकमाण 5.0600है0, खाला 0.0750है0 कुल 30 बीघा। यह 30 बीघा रिज्युम योग्य होकर रिज्युम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम बरमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर